UPPG060024302026

न्यायालय सिविल जज **(**जू**0** डि**0)** सदर**,** प्रतापगढ़।

एम.सी.सी. नंबर – 549 / 2026

विशालनाथ बनाम राज्य उ 0 प्र 0 आदि।

10.08.2026

1. पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रस्तुत।

2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 3 क अंतर्गत धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण राज्य सरकार व गांवसभा हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम प्रधान वादी की आबादी भूमि पर जबरन चुनावी रंजिश में किसी और को पट्टा करना चाहते हैं तथा वादी को बेदखल करना चाहते हैं। यदि प्रतिवादीगण को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व विधिक नोटिस प्रेषित करने का इंतजार किया जायेगा, तो उससे वादी के वाद प्रस्तुत करने का मन्तव्य विफल हो सकता है। अतः वादी को पूर्व में नोटिस प्रेषित करने से छूट प्रदान करते हुये वाद स्वीकार करने की याचना की गयी है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. धारा 80 (2) जा0 दी0 के विषय में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **Managing Director U.P. Cooperative Construction and Development Pvt. Ltd., Lucknow Vs Civil Judge Sr. Div. And Ors. [Civil Revision No. 55 of 2010]** में उक्त धारा हेतु यह देखने की बात कही कि - "whether the matter at hand was of such an urgent nature that leave from the notice requirement under Section 80(1) C.P.C. ought to be granted." माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने **Hemant Sharma Vs State of Himachal Pradesh 2019 [2019 SCC Online HP 1094]** में धारा 80 जा0 दी0 के नोटिस की आवश्यकता से वादी को यह कहते हुए छूट दी- "if the plaintiff is not heard by the Court below on priority basis, relief prayed for in the suit as well as interim application would render infructuous… Moreover, since application, if any, for interim relief would be decided by the Court below after issuing notice to the respondents- State, no prejudice whatsoever is likely to be caused to the respondent in the event of suit being taken up for hearing immediately on its filing." प्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थीगण उक्त वाद में वादी मुकदमा हैं। उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किये जाने के कारण वादी द्वारा संस्थित किया गया है। विपक्षी सरकारी कर्मचारीगण हैं, के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए धारा 80 जा0 दी0 की कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यदि विपक्षीगण को कानूनी नोटिस दी जाती है और उसके 60 दिन मियाद समाप्त होने उपरान्त दावा दायर किया जाता है, तो विपक्षी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और प्रार्थीगण का मकसद विफल हो जाएगा। अतः मामला त्वरित व अर्जेन्ट प्रकृति का प्रतीत होता है। वादीगण को धारा 80(2) जा0 दी0 से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थनापत्र 3 क विपक्षी के विरुद्ध स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

5. प्रार्थनापत्र 3 क विपक्षी के विरुद्ध स्वीकार किया जाता है। धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थी को विपक्षीगण के विरुद्ध बिना दो माह पूर्व की नोटिस दिये वाद संस्थित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद प्रकीर्ण शाखा से खारिज किया जाता है। पत्रावली मूलवाद के रूप में पंजीकृत होने हेतु मुंसरिम आख्या के साथ दिनांक 12.08.2026 को पेश हो।

(सबा फातिमा **)**
सिविल जज (जू0 डि0) सदर,
प्रतापगढ़।
J.O. Code – UP3431

Stenographer – Rishabh Sahu

Digitally signed by SABA FATIMA
Date: 2026.08.10 17:02:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court